

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948 के अन्तर्गत कौच की चूड़ी उद्योग नियोजन में देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता
न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948 के अन्तर्गत राजाज्ञा सं०-778/36-3-2011 दिनांक: 18-08-2011 तथा युटि पत्र विषयक
अधिसूचना संख-1778/36-3-2011 दिनांक: 09-10-2011 द्वारा कौच की चूड़ी उद्योग के नियोजन में नियोजित कर्मकारी हेतु मजदूरी
की मूल दरों एवं परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता का निर्धारण किया गया है। मजदूरी दरें मासिक आधार पर निकाली गयी है, जिसकी दैनिक
दर मूल मजदूरी और परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के योग 1/26 से कम तथा प्रति घण्टे दर, दैनिक दर को 1/6 से कम न होगी।
उक्त के अनुक्रम में कौच की चूड़ी उद्योग के नियोजन में (मात्रानुपाती श्रमिकों को छोड़कर) नियोजित कर्मचारियों को अखिल
भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (2001=100)के जुलाई 2010 से दिसम्बर 2010 के 181 अंको के ऊपर जनवरी, 2021 से जून
2021 तक के औसत अंक 345 का औसत अंको पर दिनांक: 01-10-2021 से दिनांक: 31-3-2022 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय
मंहगाई भत्ता निम्नलिखित दृष्टान्त की भाँति गणना करके देय होगा-
दृष्टान्त:-रूपये 4300.00 प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत मूल्य सूचकांक 345 पर दिनांक: 01.10.2021
से दिनांक: 31.3.2022 तक देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित होगा:-

(345-181)

x 4300=3896 प्रतिमाह

181

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रति माह परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते की दरें निम्नवत् है:-

कर्मिक	श्रेणियाँ	प्रतिमाह मजदूरी रूपये में	प्रतिमाह परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता रूपये में		दिनांक 1.10.2021 से दिनांक: 31.3.2022 तक
			दिनांक: 1.4.2021 से दिनांक:30.9.2021 तक	दिनांक: 1.10.2021 से दिनांक:31.3.2022 तक	
1	अकुशल	4300.00	3800.77	3896	8196
2	अर्द्ध-कुशल	4900.00	4331.11	4439.40	9339
3	कुशल	5450.00	4817.25	4938	10388
4	तारवाला	11150.00	9855.48	10.102	21252
5	बेलनिया	7800	6894.42	7067	14867
6	पर्यवेक्षक	7550.00	6673.44	6840.30	14390.30
7	जुलाई के कार्य में नियोजित श्रमिकों मात्रानुपाती दरें के आधार पर दिनांक: 01.01.2021 से दिनांक: 31.12.2021 की अवधि में रूपये 2150 प्रति 100 तोड़ा चूड़ी होगी।				

(आर0पी0गुप्ता)

उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय, श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी0 टी0 रोड, कानपुर।

संख्या 638-45

प्रवर्तन-(एम0डब्लू0)/15

दिनांक 08/10/2021

- समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराये तथा श्रमिश्रमिकों, सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मॉगे जाने पर उपलब्ध कराएँ।
- अनुसचिव उ0प्र0शासन, श्रम अनुभाग-3, लखनऊ।
- सहायक निदेशक श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, (वेज सेल) भारत सरकार नई ई-मेल wagecell@nic.in के माध्यम से
- अधिशाली निदेशक उद्योग बंधु लखनऊ।
- उप श्रम आयुक्त, (आई0 आर0), मुख्यालय, कानपुर।
- अपर श्रम आयुक्त (कम्प्यूटर), मुख्यालय को समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त कोई ई-मेल के माध्यम से प्रेषित विभागीय वेबसाइट www.uplabour.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
- श्री हिमांशु कुमार, पुस्तकालयाध्यक्ष, मुख्यालय को अभिलेखार्थ प्रेषित।
- समस्त प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों को जन सामान्य की जानकारी हेतु जनहित में निशुल्क प्रकाशनार्थ।

(आर0पी0गुप्ता)

उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।